सं० 5(10)/2007-एम एस एम ई नीति

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आयुक्त(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)का कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली -110108

दिनांक 15 अप्रैल, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अधिसूचना संख्या का०आ० 857(अ) दिनांक 10-12-1997 को रद्द करने के लिए जारी अधिसूचना सं० का०आ० 563(अ) दिनांक 27-2-2009 का अग्रसारण ।

अधिसूचना सं० का० आ० 857(अ) दिनांक 10-12-1997, जिसमें किसी औद्योगिक उपक्रम को लघु एवं अनुषंगिक औद्योगिक उपक्रम निर्धारित करने के आधार विनिर्दिष्ट थे, औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया गया था । यह, अन्य बातों के अलावा, लघु या अनुषंगिक औद्योगिक उपक्रम को किसी दूसरे औद्योगिक उपक्रम की सहायक कम्पनी या उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित कम्पनी मानने के आधार प्रदान करता था (अर्थात् लघु एवं अनुषांगिक औद्योगिक उपक्रमों के वर्गीकरण लिए विभिन्न लघु औद्योगिक इकाईया के निवेशों को इकटठा करना तथा लघु एवं अनुषांगिक औद्योगिक उपक्रमों में अलघु औद्योगिक उपक्रमों द्वारा निवेश की सीमा 24% तक सीमित करना)।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के प्रभावी हो जाने के परिणाम स्वरूप, उपरोक्त अधिसूचना संख्या का०आ० 857(अ) दिनांक10-12-1997 को भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की अधिसूचना संख्या का०आ० 563(अ) दिनांक 27-2-2009 द्वारा रद्द कर दिया गया है । इस अधिसूचना [अर्थात् का०आ० 563(अ) दिनांक 27-2-2009] के जारी हो जाने के बाद अधिसूचना संख्या का०आ० 857(अ) दिनांक10-12-1997 के प्रावधान, जैसा कि उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित है, समाप्त हो गये है। उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति आपके सूचनार्थ संलनक I-II के रूप में संलग्न है ।

3. कृपया इसे व्यापक प्रचारित करने का कष्ट करें ।

संग्लनकः उपरोक्त

भवदीय,

(पी०के० सिनहा)

उप निदेशक (सू०ल०म०उ० नीति)

1. प्रधान सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;
2. अध्यक्ष, नाबार्ड, मुम्बई ;
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी, लखनऊ ;
4. अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, मुम्बई ;
5. उप गवंनर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई ;
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वाणिज्य बैंक एवं वित्तीय संस्थान, राज्य वित्तीय निगम सहित-डाक सूचि अनुसार;
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी, नई दिल्ली ;
8. आयुक्त/निदेशक (उद्योग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;
9. निदेशक/उपनिदेशक प्रभारी, एमएसएमई डी आई/ शाखा एमएसएमई डी आई, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र;
10. अध्यक्ष, एमएसएमई एसोसिएशनस्, डाक सूचि अनुसार;
11. अध्यक्ष, आई सी ए आई, पो० ब० न० 7100, आई सी ए आई भवन, आई पी इस्सटेट, नई दिल्ली - 110104